तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 45/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
19.6.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी प्रभुराम पुत्र मनाराम जी प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी हाल– आमली रोड़, पिण्ड़वाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म सरस्वती किराणा स्टोर, आमली रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 7.9.2023 को फर्म सरस्वती किराणा स्टोर, आमली रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी प्रभुराम पुत्र मनाराम जी प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी हाल– आमली रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2196 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2491/Act/2023/2528 दिनांक 22.9.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 19.6.2024 को प्रतिवादी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी प्रभूराम को दिनांक 19.6.2024 को ही सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि मैं किराणे का व्यापार करता हूँ एवं शुभ ब्राण्ड घी को फर्म गोपाल इन्टर प्राईजेज, सुमेरपुर से खरीद करता हूँ एवं खरीदा हुआ शुभ गाय का घी गाहकों को बेचता हूँ। मुझे जो कम्पनी द्वारा घी सप्लाई किया जाता है वो घी आगे बेचता हूँ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मेरे उक्त किराणे की दुकान से शुभ गाय के घी का अलग अलग डिब्बों में से चार सेम्पल भरे गये थे एवं आगे एफ.एस.एल. जांच हेतु भेजा गया था उसमें सब स्टेण्डर्ड होने की रिपोर्ट आई है। यदि कम्पनी वालों ने आगे से घी में किसी तरह की कोई मिलावट की गई हो तो मुझे पता नही है। मैनें घी में कोई मिलावट नही की है। मैं आगे से उक्त कम्पनी से शुभ गाय के घी की खरीद नही करुंगा। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ......लगातार	

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:01 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 45/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 07.9.2023 को 11.30 ए.एम. पर फर्म सरस्वती किराणा स्टोर, आमली रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान सरस्वती किराणा स्टोर की दुकान के अन्दर आमजन के विक्रय हेतु रखे हुए घी (शुभ ब्राण्ड) के 15 किलोग्राम पैक्ड टीनों में मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) में से एक पैक्ड टीन को खोलकर उसमें मौजूद खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) को हिलामिलाकर एकरुप किया एवं उसमें से 1600 ग्राम खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया एवं खरीदशुदा घी (शुभ ब्राण्ड) को चार साफ, सूखी एवं खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरकर इन चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाईट बन्द कर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता प्रभुराम व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना शीशीयों पर नियमानुसार चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूना शीशीयों को कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) की चारों नमूना शीशीयों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता प्रभूराम व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 11.9.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबू लाल, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य ......लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:01 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 45/2024	नम्बर व तारिख अहकाम ... हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 07.9.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सरस्वती किराणा स्टोर, आमली रोड़, पिण्ड़वाडा में प्रतिवादी विक्रेता प्रभूराम पुत्र मन्नाराम जी प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी हाल– आमली रोड़, पिण्ड़वाडा से खाद्य पदार्थी घी (शुभ ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-2196 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2491/Act/2023/2528 दिनांक 22.9.2023 में खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रभुराम ने खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया। प्रतिवादी प्रभुराम ने इस न्यायालय में जवाब के साथ खाद्य पदार्थ शुभ गाय घी को मैसर्स गोपाल एन्टरप्राईजेज, सुमेरपुर से बिल इनवोईस संख्या 799 दिनांक 01.8.20203 एवं बिल इनवोईस संख्या 1812 दिनांक 13.1.2024 के द्वारा फर्म मैसर्स गोपाल एन्टरप्रोईजेज, भैरुचौक, सुमेरपुर से क्रय करने के बिल की छाया प्रति प्रस्तुत की है, लेकिन प्रतिवादी प्रभुराम की ओर से प्रस्तुत उक्त बिल इनवोईस दिनांक 01.8.2023, उक्त खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) के पैकिंग तिथि 01.8.2023 का ही होने से यह संभव नही है कि उक्त खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) की दिनांक 01.8.2023 को पैकिंग होने के बाद निर्माता फर्म द्वारा उसी दिन सप्लायर फर्म को एवं सप्लायर फर्म द्वारा उसी दिन प्रतिवादी प्रभुराम को उक्त खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) का विक्रय किया गया हो। प्रतिवादी प्रभुराम की ओर से प्रस्तुत उक्त बिल इनवाईस दिनांक 13.1.2024, उक्त खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) का आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.9.2023 को प्रतिवादी प्रभुराम से जांच हेतु नमूना क्रय करने की बाद की तिथि का है। ऐसी स्थिति में, प्रकरण में यह तथ्य साबित नही होता है कि प्रतिवादी प्रभुराम से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा जिस पैकिंग दिनांक 01.8.2023 का खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु क्रय किया गया है वह प्रतिवादी प्रभुराम द्वारा उक्त बिल इनवाईस दिनांक 01.8. 2023 से ही क्रय किया हो। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रभुराम ने आ... खाद्य पदार्थ घी (शुभ ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:01 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 45/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी प्रभुराम पुत्र मनाराम जी प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी हाल– आमली रोड़, पिण्ड़वाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म सरस्वती किराणा स्टोर, आमली रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी प्रभुराम पुत्र मनाराम जी प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी हाल– आमली रोड़, पिण्ड़वाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म सरस्वती किराणा स्टोर, आमली रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 16.7.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:01 IST
Reason: SelfAttested